



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04122021-231588
CG-DL-W-04122021-231588

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2021 (अग्रहायण 13, 1943)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2021 (AGRAHAYANA 13, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	699	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	793	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	19	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2561	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	3331
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	503
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	2351
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	699	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	793	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	19	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	2561	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3331
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	503
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2351
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2021

संकल्प

सं. ई.11012/1/2019-रा.भा.—नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 25 जनवरी, 2021 के समसंख्यक संकल्प का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार द्वारा नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। समिति की संरचना, कार्य आदि निम्नलिखित होंगे:—

(क)	गठन	
	नागर विमानन राज्य मंत्री	अध्यक्ष
(ख)	सरकारी सदस्य (पदेन)	
1	सचिव, नागर विमानन	सदस्य
2	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
3	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
4	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
5	संयुक्त सचिव (एस.के.एम.), नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
6	संयुक्त सचिव (यू), नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
7	संयुक्त सचिव (आर.ए.), नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
8	संयुक्त सचिव (ए.डी), नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
9	संयुक्त सचिव (जी.एस.), नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
10	मुख्य वित्त नियंत्रक, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
11	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
12	महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली	सदस्य
13	महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली	सदस्य
14	मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा, रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ	सदस्य
15	महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली	सदस्य
16	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य

17	अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
18	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लि., नोएडा	सदस्य
19	निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज एयरफील्ड, अमेठी	सदस्य
20	अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
21	कुलपति, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज एयरफील्ड, अमेठी	सदस्य
(ग)	गैर सरकारी सदस्य	

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य

22	श्री राजु बिष्ट, संसद सदस्य, लोक-सभा	सदस्य
23	श्री रविन्द्र श्यामनारायण शुक्ला, संसद सदस्य, लोक-सभा	सदस्य
24	श्री सुशील कुमार मोदी, संसद सदस्य, राज्य- सभा	सदस्य
25	श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा, संसद सदस्य, राज्य- सभा	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य

26	श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो, संसद सदस्य (लोक-सभा)	सदस्य
27	श्री दुर्गा दास उईके, संसद सदस्य (लोक-सभा)	सदस्य

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा नामित सदस्य

28	श्री पंकज दीवान, महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद	सदस्य
----	--	-------

अखिल भारतीय स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा नामित सदस्य

29	श्री विभूति मिश्र, प्रधानमंत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	सदस्य
----	--	-------

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

30	श्री संदीप भूतोरिया, लेखक	सदस्य
31	श्रीमती मेखला दत्ता, पूर्व महाप्रबंधक (राजभाषा), एअर इंडिया लिमिटेड,	सदस्य
32	श्री प्रेम सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) (सेवानिवृत्त)	सदस्य
33	श्री रमेश चन्द्र, अध्यक्ष, हरियाणा हिंदी संस्था, गुरुग्राम	सदस्य

राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य

34	डॉ. योगेंद्र मिश्रा, संस्कृत प्रोफेसर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय	सदस्य
35	प्रो. आर.एस. सराजू, हिंदी प्रोफेसर स्कूल ऑफ ह्यूमेनीटीज, युनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, गचिबोल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	सदस्य
36	डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार संतोष, सहायक प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
(घ)	सदस्य-सचिव (पदेन)	

37	संयुक्त सचिव/ अपर सचिव (राजभाषा प्रभारी), नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य-सचिव
----	--	------------

समिति के कार्य

इस समिति का कार्य, संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम तथा नियम और केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीतिगत निर्णयों तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी, राजभाषा हिन्दी से संबंधित अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में तथा नागर विमानन मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए सलाह देना है।

कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल, सामान्य रूप से समिति के पुनर्गठन सम्बन्धी संकल्प के जारी होने की पिछली तारीख अर्थात् 25 जनवरी, 2021 से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि-

1. जो संसद सदस्य हैं वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे
2. जो सदस्य किसी समिति, संगठन इत्यादि द्वारा नामित किए गए हैं, समिति/ संगठन द्वारा उनके नाम के स्थान पर किसी और सदस्य को नामित किए जाने और मंत्रालय द्वारा इस आशय का संकल्प जारी कर दिए जाने के पश्चात्, वे समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
3. समिति के पदेन सदस्य (सरकारी), अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही इस समिति के सदस्य रहेंगे।
4. यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान खाली होता है, तो उस स्थान पर नियुक्त नए सदस्य, तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होंगे।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, भारत सरकार द्वारा समय निर्धारित दरों पर समय पर-यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

मुख्यालय

समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति, समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

पीयूष श्रीवास्तव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 25th November 2021

RESOLUTION

No. E.11012/1/2019-OL—In supersession of the Ministry of Civil Aviation's resolution of even no. dated 25 January, 2021, the Government of India has decided to amend the reconstitution of the Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Civil Aviation. The composition of the Samiti and its functions etc. will be as under:—

(A) Composition

Minister of State for Civil Aviation	Chairman
--------------------------------------	----------

(B) OFFICIAL MEMBERS (Ex-officio)

1	Secretary, Civil Aviation	Member
2	Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
3	Sr. Economic Advisor, Ministry of Civil Aviation	Member
4	Joint Secretary and Financial Advisor, Ministry of Civil Aviation	Member
5	Joint Secretary (SKM), Ministry of Civil Aviation	Member
6	Joint Secretary (U), Ministry of Civil Aviation	Member
7	Joint Secretary (RA), Ministry of Civil Aviation	Member
8	Joint Secretary (AD), Ministry of Civil Aviation	Member
9	Joint Secretary (GS), Ministry of Civil Aviation	Member
10	Chief Controller of Finance, Ministry of Civil Aviation	Member
11	Joint Secretary, Department of Official Language, MHA	Member
12	Director General, Directorate General of Civil Aviation, New Delhi	Member
13	Director General, Bureau of Civil Aviation Security, New Delhi.	Member
14	Chief Commissioner of Railway Safety, CRS, Lucknow.	Member
15	Director General, Aircraft Accident Investigation Bureau, New Delhi.	Member
16	Chairman and Managing Director, Air India Ltd, New Delhi.	Member
17	Chairman, Airports Authority of India, New Delhi.	Member
18	Chairman and Managing Director, Pawan Hans Ltd., Noida.	Member
19	Director, Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi,	Member
20	Chairman, Airports Economic Regulatory Authority of India	Member
21	Vice Chancellor, Rajiv Gandhi National Aviation University	Member

(C) NON OFFICIAL MEMBERS

Members of Parliament nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

22	Sh Raju Bist, MP (Lok Sabha)	Member
23	Sh Ravindra Shyamnarayan Shukla, MP (Lok Sabha)	Member
24	Sh Sushil Kumar Modi, MP (Rajya Sabha)	Member
25	Sh Maharaja Sanajaoba Leishemba, MP (Rajya Sabha)	Member

Members of Parliament nominated by Committee of Parliament on Official Language

26	Shri Jyotirmay Singh Mahto, MP (Lok Sabha)	Member
27	Sh Durga Das Uikey, MP (Lok Sabha)	Member

Member nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

28	Shri Pankaj Diwan, Maha Mantri, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,	Member
----	--	--------

Member nominated by Akhil Bhartiya Voluntary Organisations

29	Sri Vibhuti Mishra, Pradhan Mantri, Hindi Sahitya Sammelan, Prayag	Member
----	--	--------

Members nominated by Ministry of Civil Aviation

30	Sh Sandeep Bhutoria, Writer	Member
31	Smt Mekhla Dutta, Ex General Manager, Air India Ltd.	Member
32	Sh Prem Singh, Retired Joint Director (OL)	Member
33	Sh Ramesh Chander, Chairman, Haryana Hindi Sanstha	Member

Members Nominated by Department of Official Language

34	Dr. Yogendra Mishra, Sanskrit Professor, Banarsh Hindu University	Member
35	Pro. R. S. Sarraju, Hindi Professor, School of Humanities, University of Hyderabad, Gachibowli, Hyderabad, Andhra Pradesh	Member
36	Dr. Gyanendra Kumar Santosh, Assistant Professor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi	Member

(D) Member Secretary (Ex-officio)

37	Joint Secretary/Add. Secretary (official language in-charge), Ministry of Civil Aviation	Member Secretary
----	--	------------------

FUNCTIONS OF THE SAMITI

The functions of the Samiti will be to render advice with regard to the implementation of the provisions relating to Official Language Hindi contained in the Constitution, Official Language Act and Rules, and Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs/Department of Official Language relating to Official Language Hindi and also in regard to the Progressive use of Hindi in the Ministry of Civil Aviation.

TENURE

The tenure of the members of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of its reconstitution provided that:

1. A member, who is a Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament.

2. A Member who has been nominated by any committee, organization, etc., shall cease to be member of the committee, after the committee/organisation has nominated another member as his replacement and a resolution to this effect is issued by the Ministry.
3. Ex-officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.
4. If a vacancy arises in the Samiti due to resignation, death etc, of the member, the new member appointed on the vacancy, shall hold office for the residual term of three years.

Travel allowance and other allowances

The non-official members will be paid travelling and daily allowance for attending the meeting of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

HEADQUARTERS

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of this resolution be communicated to all Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries and Departments of the Government of India.

PIYUSH SRIVASTAVA
Senior Economic Advisor